रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 62] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 1, 1995/माघ 12, 1916
No. 62] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 1, 1995/MAGHA 12, 1916

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1995

का. आ. 71 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह न्याय-निर्णयन करने के प्रयोजन के लिए कि विश्व हिन्दू परिषद (वी. एच. पी.) को विधि-विरुद्ध घोषित करने के पर्याप्त कारण है या नहीं, "विधि-विरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिकरण" गठित करती है जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री के. राममूर्ति होंगे।

[फा. सं. 12034/2/95-आई. एस. (डी-5) (टी)]

रामफल, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 1995

S.O. 71(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes the "Unlawful Activities (Prevention) Tribunal", for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the Vishwa Hindu Parishad (VHP) as unlawful, consisting of Justice Shri K. Ramamoorthy, Judge of Delhi High Court.

[F. No. 12034/2/95-IS(DV)(T)]

RAM PHAL, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995